न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार सिन्धव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 274 / 14

श्रीमती सन्तोष पत्नि स्व0 टीकमचन्द, जाति भागी, आयु 45 वर्ष, निवासनी ग्राम मांदलिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

(वादिनी)

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान
2. बाबू लाल पुत्र स्व0 टीकमचन्द आयु 25 वर्ष
3. ममता पुत्री स्व0 टीकमचन्द, आयु 20 वर्ष, जाति भांगी, निवासीगण ग्राम मांदलिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थिति : श्री बद्रीप्रकाश जी शर्मा, अभिभाषक, वादिनी
श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी क्र. 2 व 3

दिनांक : 02.06.2017

निर्णय

वादिनी के ससुर श्री अमरा जी उर्फ अमर लाल वल्द रामा जी को ग्राम मांदलिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नं0 20 की रकबा 10 बीघा किस्म बंजड सिवायवक दिनांक 12–05–1976 को आवंटन की गई थी, और आवंटन के उपरान्त उक्त आवंटित भूमि पर उन्हें गैर खातेदारी अधिकार जरिये इन्तकाल नं0 91 से दिये गये और सम्वत् 2035–38 में उक्त आराजी स्व0 अमरा उर्फ अमर लाल के गैर खातेदारी में दर्ज रही, जिसकी किस्म बारानी सोयम दर्ज की गई। आवंटी अमरा उर्फ अमर लाल जी अपने जीवन काल में उक्त आराजी पर बतौर गैर खातेदार काबिज काश्त रहे और तदुपरान्त 2–7–86 को अमरा उर्फ अगर लाल का स्वर्गवास हो गया और उनके स्वर्गवास के उपरान्त वादिनी के पति व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के पिता टीकमचन्द जी, जो कि अमर लाल जी के पुत्र थे, वह आराजी पर उनके उत्तराधिकारी की हैसियत से काबिज हुये और काश्त करते रहे, तथा दिनांक 30–07–99 को वादिनी के पति टीकमचन्द का भी स्वर्गवास हो गया और उसके उपरान्त वादिनी एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और आज भी मौके पर उक्त आराजी पर वादिनी एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 का ही कब्जाकाश्त है। सेटलमेन्ट के दौरान, सेटलमेन्ट अधिकारियों ने वादिनी के ससुर को आवंटित आराजी ख0 नं0 20 रकबा 10 बीघा को अन्य भूमि में मिलाकर नया नम्बर 54 कायम कर रकबा 4.31 है,

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

कायम करते हुये चारागाह दर्ज कर दिया, जब कि उक्त खसरा नम्बर 54 की 1.60 है, 10 बीघा भूमि वादिनी के ससुर अमरा जी को आवंटनशुदा गैर खातेदारी की आराजी है और सेटलमेन्ट विभाग को बिना किसी कोम्पीटेन्ट कोर्ट के आदेश के रिकॉर्ड व रकबे को कमी बेशी करने या फेर बदल करने का अधिकार नही है, और सेटलमेन्ट द्वारा की गई इस प्रकार की त्रुटि प्रांरभ से ही कानूनन प्रभाव शून्य मानी गई है, और आराजी को आवंटन हुये 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, और इसलिये वादिनी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को स्वतः ही भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, और इस आधार पर वादिनी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 उक्त ख0 नं0 54 में से 1.60 है, को चारागाह से हटाकर स्वयं के खातेदारी में दर्ज कराकर खातेदार घोषित होने की अधिकारी है।

सेटलमेन्ट द्वारा भूमि को गलत तौर पर चारागाह में दर्ज करने के सम्बन्ध में जानकारी सर्वप्रथम पटवारी हल्का को पास नक्शा ट्रेस व रिकॉर्ड की नकले लेने जाने पर हुई और जिस पर वादिनी ने कई बार राजस्व अधिकारीयों से रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती कर 1.60 है, भूमि को खातेदार वादनी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के खातेदारी मे दर्ज करने हेतु निवेदन किये गये, किन्तु वह टालदूल करते रहे और दिनांक 13–8–14 को तहसीलदार सा0 लाडपुरा ने दुरूस्ती इन्द्राज करने से स्पष्ट इनकार करते हुय शीघ्र ही उक्त आराजी से वादिनी व उसके पुत्र पुत्री को बेदखल करने का धमकी दी, इसलिये वादिनी को यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी नं0 2 व 3 मृतक टीकमचन्द के पुत्र पुत्री व जायज वारिसान होने से उन्हे वाद में फोर्मल पक्षकार बनाया गया है, तथा स्टेट ऑफ राजस्थान लैण्ड होल्डर होने से उसे प्रतिवादी नं0 1 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, जिस के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी0 पी0 सी0 का नोटिस मियादी दो माह का प्रेषित किया जाना आवश्यक है, किन्तु वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से नोटिस दिया जाना संभव नही है, तथा इस हेतु धारा 80/2 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पृथक से अनुमति हेतु पेश किया गया हैं। प्रस्तुत वाद का वाद कारण दौराने सेटलमेन्ट वादिनीगण के ससुर अमर उर्फ अमरलाल को आवंटित व गैर खातेदारी की भूमि को गलत तौर पर चारागाह में दर्ज कर देने और तदुपरान्त अनेक बार निवेदन के बावजूद राजस्व अधिकारियों द्वारा इन्द्राज व नक्शाट्रेस दुरूस्ती नही करने और दिनांक 13–8–14 को तहसीलदार सा0 लाडपुरा द्वारा रिकॉर्ड व नक्शाट्रेस में दुरूस्ती करने से इनकार करते हुये वादिनी को आराजी से बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। वादिनी की उक्त आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत वाद को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष मे प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादपत्र की मद सं0 1 में वर्णित आराजी ख0 नं0 20 की रकबा 10 बीघा वाके ग्राम मांदलिया, तहसील लाडपुरा जो कि वादिनी के ससुर अमरा उर्फ अमर लाल जी को आवंटित कर गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी, और जिसके सेटलमेन्ट उपरान्त नये नं0 54 कायम किये गये है, उस खसरा नं0 54 की 4.31 है, भूमि जो कि राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेन्ट द्वारा गलत तौर पर चारागाह दर्ज कर दी गई है, उसमें से वादिनी की 10 बीघा यानि 1.60 है, आराजी सिवायवक से हटाई जाकर वादिनी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को उसका खातेदार घोषित करते हुय वादिनी व

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
केटा (राज.)

प्रतिवादी नं0 1 व 2 के खाते दर्ज की जावे, और इसी अनुसार रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, कि राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 वादिनी की खं0 नं0 गत 20 नये 54 की 1.60 है. आराजी वो ग्राम मांदलिया, तह0 लाडपुरा पर वादिनी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में ताकत के बल पर न तो किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत करे, और न वादिनी को उक्त आराजी से बेदखल कर स्वयं कब्जा करे, और न ही वादिनी की 1.60 है. आराजी या भाग को अवैध व गैर कानूनी तरीके से अन्य को खुर्द बुर्द या आवंटन करे। ऐसा न तो प्रतिवादी क्रम स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियों व एजेन्टों से करावें।

वादिनी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में निम्नानुसार दस्तावेजात पेश किये गये है :-

1.	प्रदर्श 1ए-	(नियम 15 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970) अनाधिवासित कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा का प्रपत्र क्रमांक 1713 से अमरा पुत्र रामा को ग्राम मान्दलिया के खसरा नम्बर 20 की 10 बीघा आराजी का आवंटन पत्र।
2.	प्रदर्श – 2	नकल प्रमाणित प्रति इंतकाल 91 संवत 2035
3.	प्रदर्श – 3	प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस
4.	प्रदर्श – 4	नकल जमावन्दी संवत 2066-69 ग्राम मान्दलिया नवीन खसरा नं. 54
5.	प्रदर्श – 5	खसरा गिरदावरी ग्राम मान्दलिया, संवत 2066-69, खसरा नं. 54
6.	प्रदर्श – 6	मिलान क्षेत्रफल संवत 2038-57, ग्राम मान्दलिया

प्रकरण में वादिनी की ओर से पेश किये गये वाद पत्र का प्रतिवादी क्रम 2 व 3 की ओर से वाद पत्र के सभी कथन स्वीकार करते हुये इकवाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से बावजूद सूचना के दो वर्ष तक जवाब दावा पेश नहीं किये जाने पर वादी वकील द्वारा आपत्ति करते हुये जवाब दावा बन्द किये जाने का निवेदन किया गया तथापि न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय पत्रांक : रीडर/एसीएम/2017/824 दिनांक 07.04.2017 से जवाब दावा एवं साक्ष्य हेतु प्रतिवादी क्रम 1 को पत्र जारी किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा इसके बावजूद भी जवाब नहीं दिये जाने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 2 व 3 की ओर से इकवाली जवाब दावा पेश होने से तनकी नहीं कायम की गई।

पत्रावली के बहस में आने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी के मूल आवंटी वादिनी के ससुर अमरा पुत्र रामा एवं वादिनी के पति टीकमचन्द का स्वर्गवास हो जाने से वादिनी ही उनकी उत्तराधिकारी है। अतः अमरा पुत्र रामा को आवंटित भूमि का वादिनी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के वकील द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादिनी का वाद डिक्री किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
कोटा (राज.)

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिसमें आवंटन पत्र के अनुसार वादिनी के ससुर अमरा पुत्र रामा को ग्राम मान्दलिया के खसरा नं. 20 की 10 बीघा का आवंटन होना तथा उक्त आवंटन के आधार पर आवंटी की गैरखातेदारी में आराजी दर्ज होना सिद्ध हो रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 54 रकबा 4.31 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर आराजी को (सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति के अनुसार) वादिनी श्रीमती सन्तोष पत्नी स्व. टीकमचन्द, बाबूलाल पुत्र टीकमचन्द, ममता पुत्री टीकमचन्द, जाति भांभी, निवासीगण ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा जो विवादित आराजी के पूर्व आवंटी अमरा पुत्र रामा (मृतक) के विधिक वारिसान है, को वर्तमान खसरा नं. 54 रकबा 4.31 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर वाके ग्राम मान्दलिया का जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है, के स्थान पर गैर खातेदार घोषित किया जाकर वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 2 व 3 की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार त्रिन्थव)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा
कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार सिन्धव, आर0ए0एस0

बउनवान :

श्रीमती सन्तोष पत्नि स्व0 टीकमचन्द, जाति भागी, आयु 45 वर्ष, निवासनी ग्राम मांदलिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 (वादिनी)

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान
2. बाबू लाल पुत्र स्व0 टीकमचन्द आयु 25 वर्ष
3. ममता पुत्री स्व0 टीकमचन्द, आयु 20 वर्ष,
   जाति भांगी, निवासीगण ग्राम मांदलिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 (प्रतिवादीगण)

दावा बावत : 88, 89, 92A, 188 RTA

मुकदमा नम्बर : 274 / 14

निर्णय दिनांक : 02.06.2017

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से वादी वकील श्री बद्री प्रकाश शर्मा एवं प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के वकील श्री मुकेश शर्मा की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 02–06–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिन्धव आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 54 रकबा 4.31 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर आराजी को (सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति के अनुसार) वादिनी श्रीमती सन्तोष पत्नी स्व. टीकमचन्द, बाबूलाल पुत्र टीकमचन्द, ममता पुत्री टीकमचन्द, जाति भांगी, निवासीगण ग्राम मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा जो विवादित आराजी के पूर्व आवंटी अमरा पुत्र रामा (मृतक) के विधिक वारिसान है, को वर्तमान खसरा नं. 54 रकबा 4.31 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर वाके ग्राम मान्दलिया का जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है, के स्थान पर गैर खातेदार घोषित किया जाकर वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 2 व 3 की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 02.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रमोद कुमार सिन्धव)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा
कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
अदर्शो के लिये स्टाम्प		प्लीडर के लिये फीस	
..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामिल	
कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	